प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 899 / 2022

अनवान : –

1. मंगतुराम पुत्र शेराराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. महादेव प्रसाद पुत्र शेराराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. श्रवण पुत्र शेराराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. मैना देवी पुत्री शेराराम पत्नी सुरेश कुमार जाति माली निवासी नोहर।
2. राकेश कुमार पुत्र तुलछा पुत्री शेराराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. कृष्णा पुत्री तुलछा पुत्री शेराराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त० अधि० 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा, अधिवक्ता **वादी**
श्री सुबोध शर्मा अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांकः 19.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 264 / 236 की कुल 5.7540है0 भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि वादी के पिता मृतक शेराराम पुत्र लाधुराम के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शेराराम पुत्र लाधुराम के नाम से दर्ज है जो कि वादीगण का का पिता है। शेराराम पुत्र लाधुराम का देहान्त हो चुका है अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण शेराराम पुत्र लाधुराम के वारिस होने के कारण अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। है। शेराराम पुत्र लाधुराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 है जो मृतक शेराराम पुत्र लाधुराम के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने की कानूनी अधिकारी है।

प्रतिवादीया स0 1 जो कि वादीगण की बहिन एवं प्रतिवादी स0 3 जो की वादीगण की भानजी है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा हे अपने भाईयों व मामा के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग उक्त वाद भूमि वादीगण स0 1 ता 3 का 9 / 10 हिस्सा [illegible] प्रतिवादी स0 2 जो कि 1 / 10 हिस्सा पर काबिज है। जिसकी वादीगण एवं प्रतिवादी [illegible] करवा पाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:59:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादीया सं0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता इकबाल जवाब पेश किया वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश किया जिस पर अधिवक्ता प्रतिवादी श्री सुबोध शर्मा द्वारा एतराज जाहिर नही करने के कारण स्वीकार किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा संशोधित अर्जीदावा पेश किया गया। प्रतिवादी स0 4 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया। वादीगण ने वाद के समर्थन में मृत्यु प्रमाण पत्र शेराराम ईएक्सपी–1, मृत्यु प्रमाण पत्र तुलसी देवी ईएक्सपी–2, मृत्यु प्रमाण पत्र गोमती ईएक्सपी–3, आधार कार्ड श्रवण ईएक्सपी–4, आधार कार्ड लादुराम ईएक्सपी–5, मृत्यु प्रमाण पत्र गुलाबी देवी, शपथ पत्र सदस्य प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा व राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 कैम्प कोर्ट में पेश हुई। वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी स0 1 ता 3 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीया स0 1 व 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी स0 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादीगण अपने हिस्सा अनुसार अपने हकों की घोषणा करवाना चाहता है। वादीगण के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 3 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 264/236 की कुल 5.7540है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वादी के पिता मृतक शेराराम पुत्र लाधुराम के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये राजस्व रिकार्ड के अलावा मृतक शेराराम पुत्र लाधुराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया। प्रतिवादीसं0 1 ता 3 द्वारा वाद की सभी

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:59:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

मदों को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नही है। अतः वादीगण के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने तथा वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 264/236 की कुल 5.7540है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वादी के पिता मृतक शेराराम पुत्र लाधुराम के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है, में मृतक शेराराम पुत्र लाधुराम का नाम कलमजन किया जाकर 9/10 हिस्सा भूमि का वादीगण स0 1 ता 3 को बहिब व 1/10 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–चक सरदारपुरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:59:07 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 899/2022
अनवान : –

1. मंगतुराम पुत्र शेराराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. महादेव प्रसाद पुत्र शेराराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. श्रवण पुत्र शेराराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. मैना देवी पुत्री शेराराम पत्नी सुरेश कुमार जाति माली निवासी नोहर।
2. राकेश कुमार पुत्र तुलछा पुत्री शेराराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. कृष्णा पुत्री तुलछा पुत्री शेराराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 899 सन 2022 निर्णय दिनांक 19.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रविन्द्र गोदरा व वकील प्रतिवादी श्री सुबोध शर्मा की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 264/236 की कुल 5.7540है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वादी के पिता मृतक शेराराम पुत्र लाधुराम के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है, में मृतक शेराराम पुत्र लाधुराम का नाम कलमजन किया जाकर 9/10 हिस्सा भूमि का वादीगण स0 1 ता 3 को बहिब व 1/10 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:59:07 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–चक सरदारपुरा